

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संख्या-1/स्था०(का०आ०)-06/2024...../वि०,

पटना, दिनांक-.....

:: आदेश ::

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना सं०-12857, दिनांक-16.07.2026 द्वारा श्री राजीव रौशन, भा०प्र०से०, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना के पदस्थापन के फलस्वरूप वित्त विभागीय कार्यावंटन ज्ञापांक-6333, दिनांक-09.07.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें निम्नवत कार्य आवंटित किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	प्रशाखा का नाम/विषय	उपस्थापन शृंखला
1	2	3	4
1	श्री राजीव रौशन, भा०प्र०से०, सचिव (संसाधन)	प्रशाखा-2- अराजपत्रित स्थापना प्रशाखा-5- प्रेस प्रशाखा बिहार सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रेस एवं फॉर्म्स, गया/मुद्रण एवं लेखन सामग्री से संबंधित कार्य, इत्यादि। प्रशाखा-27- पेंशन प्रशाखा 1. पेंशन संबंधित मामलों में विभिन्न विभागों से प्राप्त संचिका पर वित्त विभागीय परामर्श देना 2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5508 दिनांक-05.05.1997 के आलोक में स्वीकृत अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन 3. अनुग्रह अनुदान समिति की बैठक संबंधी कार्य 4. पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति 5. पेंशन कोषांग की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता 6. पेंशन कोषांग में पेंशनर/उनके उत्तराधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन का निस्तार 7. बिहार एवं झारखंड राज्य के बीच लंबित पेंशन दायित्वों के बँटवारे से संबंधित कार्य, इत्यादि। प्रशाखा-28- ई-गवर्नेंस सेल 1. CFMS/CTMIS/HRMS से संबंधित कार्य 2. CFMS के विभिन्न Modules/Functionlities/SRS Document पर बैठक एवं परामर्शी से मंतव्य प्राप्त करना 3. WAMIS/e-payment एवं अन्य से संबंधित कार्य 4. UAT एवं प्रशिक्षण से संबंधित कार्य 5. संबंधित एजेंसी के साथ एकरारनामा, MOM एवं भुगतान कार्य 6. GeM संबंधित कार्य यथा प्रशिक्षण, अधिप्राप्ति, Payment Mode, बैंको के साथ MoU करना 7. ई-गवर्नेंस से संबंधित अन्य कार्य, Asset Monetization इत्यादि। प्रशाखा-29- ई-कोषागार प्रशाखा 1. O-GRAS/RMS (e-receipt) एवं अन्य से संबंधित कार्य 2. GST से संबंधित कार्य 3. ई-कोषागार से संबंधित कार्य 4. साइबर कोषागार से संबंधित कार्य, इत्यादि। प्रशाखा-30- केन्द्रांश राशि अनुश्रवण प्रशाखा 1. PFMS/SNA-SPARSH/DBT से संबंधित कार्य 2. CSS/CS स्कीम से संबंधित भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन संबंधित कार्य, इत्यादि।	1. श्री चन्द्र प्रकाश, संयुक्त आयुक्त 2. श्री ऋषिकेश, उप सचिव 3. श्री मिन्दू लाल भारती, प्र०पदा० 1. श्री जितेन्द्र गुप्ता, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव - प्रभारी पदाधिकारी 2. श्री जितेन्द्र ओझा, उप सचिव 3. श्री नीरज कुमार, अवर सचिव 4. श्रीमती अलका सोनी, प्र०पदा० 1. श्री विनय कुमार, संयुक्त आयुक्त 2. • श्री संजय कुमार, अवर सचिव (वरीयता क्रमांक-431/2026) • श्रीमती दीपमाला, सहायक निदेशक 3. श्री अरुण कुमार, प्रशाखा पदा० श्री श्रेष्ठ अनुपम, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव - प्रभारी पदाधिकारी 1. श्री आलोक कुमार, संयुक्त आयुक्त 2. श्री प्रेम कुमार पुष्प, संयुक्त आयुक्त 3. श्री संतोष कुमार, लेखा पदाधिकारी 4. श्री शशि शेखर सिन्हा, लेखा पदा० 5. मो० जमशेद आलम अंसारी, अवर सचिव 6. श्री आशीष कुमार, प्रशाखा पदा० श्री श्रेष्ठ अनुपम, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव - प्रभारी पदाधिकारी 1. श्री आलोक कुमार, संयुक्त आयुक्त 2. श्री प्रेम कुमार पुष्प, संयुक्त आयुक्त 3. श्री शशि शेखर सिन्हा, लेखा पदाधिकारी 4. श्री कुँवर खरवार, अवर सचिव 5. श्रीमती ज्योत्सना झा, प्रशाखा पदा० श्री श्रेष्ठ अनुपम, भा०प्र०से०, संयुक्त सचिव - प्रभारी पदाधिकारी 1. श्री आलोक कुमार, संयुक्त आयुक्त 2. श्री प्रेम कुमार पुष्प, संयुक्त आयुक्त 3. श्री मनोज कुमार शर्मा, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार 4. श्री नरेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी

	ई-ऑफिस प्रशाखा-41 (एसी०/डी०सी०/यू०सी० प्रशाखा) 1. एसी०/डी०सी०/यू०सी० से संबंधित कार्य 2. विभिन्न विभागों का लंबित एसी०/डी०सी०/यू०सी० का समायोजन कराना 3. एसी०/डी०सी० से संबंधित लंबित मामलों का महालेखाकार से समन्वय स्थापित कर समायोजित कराना 4. कोषागार संहिता के नियम-194(i) एवं 271(ड) के आलोक में बंधेज शिथिलीकरण (AC/DC) 5. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम से संबंधित कार्य, इत्यादि। प्रशाखा-42- नई पेंशन योजना प्रशाखा 1. नई पेंशन योजना से संबंधित कार्यों को निष्पादन, इत्यादि।	श्री श्रेष्ठ अनुपम, मा०प्र०से०, संयुक्त सचिव – प्रभारी पदाधिकारी श्री आलोक कुमार, संयुक्त आयुक्त 1. श्री जितेन्द्र गुप्ता, मा०प्र०से०, संयुक्त सचिव – प्रभारी पदाधिकारी 2. श्री ऋषिकेश, उप सचिव 3. श्री अरुण कुमार, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी 4. श्री नरेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी 1. श्री विनय कुमार, संयुक्त आयुक्त 2. श्री अभिषेक चन्द्र दास, अवर सचिव 3. श्री अरुण कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी
--	---	---

2. श्री नन्द किशोर मेहता, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना विभागीय आदेश ज्ञापांक-9090, दिनांक-20.08.2025 द्वारा आवंटित कार्यों का निष्पादन करेंगे।

3. कार्यावंटन आदेश ज्ञापांक-6333, दिनांक-09.07.2026 में संशोधन करते हुए नवगठित विभाग यथा-उच्च शिक्षा विभाग, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को प्रशाखा-3बी तथा सिविल विमानन विभाग को प्रशाखा-3डी में अंकित विभागों के अतिरिक्त शामिल किया जाता है। साथ ही सिविल विमानन विभाग को प्रशाखा-14 (योजना एवं बजट प्रशाखा), युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को प्रशाखा-15 (योजना एवं बजट प्रशाखा) तथा उच्च शिक्षा विभाग को प्रशाखा-16 (योजना एवं बजट प्रशाखा) में अंकित विभागों के अतिरिक्त शामिल किया जाता है।

4. पूर्व सभी कार्यावंटन आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अक्षय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०(का०आ०)-06/2024.....6862...../वि०,

पटना, दिनांक 27.07.2026

प्रतिलिपि-माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (संसाधन) के निजी सहायक/सचिव (व्यय) के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय/निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय/सभी पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अक्षय कुमार
27/7/26
सरकार के अवर सचिव।